ऑन लाईन नं. RCMS 1976/00001

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण सख्या 17/1976

सरकार

प्राथी

बनाम

इन्द्रसिंह पुत्र मानासिंह चक 9 जीबी तहसील अनूपगढ (मतृक)

1. सरजीत कौर पत्नी इन्द्र सिंह निवासी चक 11 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर।
2. रिछपाल सिंह पुत्र (मृतक)
   2/1 सुवन्त कौर पत्नी, 2/2 जगजीत सिंह पुत्र, 2/3 लखविन्द्र कौर पुत्री — निवासी 11 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर श्रीगंगानगर।
   2/4 कमलजीत कौर पुत्री — निवासी गुरूसरमोडिया तहसील सूरतगढ।
3. मोहता सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 जीबी तहसील श्रीवियजनगर।
4. प्रितो उर्फ प्रीत कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सविन्द्र कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 14 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
6. दीदार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 11 जीबी तहसील श्रीवियजनगर (मृतक)
   6/1 मलकीत सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 11 जीबी तहसील श्रीवियजनगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता,
श्री कश्मीराम रणंवा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक :18.04.2022

प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप शासन सचिव, राजस्व (सीलिंग) विभाग, राज. जयपुर ने अपने आदेश संख्या 7(232)राज/ग्रुप–4/76/20.08.1976 द्वारा उप–जिलाधीश रायसिंहनगर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 771/71 (पुराना कानून) सरकार बनाम इन्द्रसिंह पुत्र माणा सिंह चक 9 जी.बी. तहसील अनूपगढ में अप्रार्थी द्वारा धारण की जाने वाली भूमि को निर्धारित सीमा से कम मानकर कार्यवाही समाप्त की गई। राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उपजिलाधीश रायसिंहनगर ने अप्रार्थी द्वारा चक 11 जी. बी. में धारण की जाने वाली भूमि 41 बीघा 9 बिस्वा को बिना ध्यान में रखे ही सीलिंग प्रकरण में निर्णय किया है। अप्रार्थी ने राजस्थान टेनेन्सी : भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण : सरप्लस नियम 1963 के नियम 9 के अधीन दिनांक 12.01.1971 को अपना घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होने चक 9 जीबी में धारित करने वाली केवल 51 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही दर्ज की है और चक 11 जीबी में धारण की जाने वाली भूमि को दर्ज नहीं किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपरोक्त कारणो से अप्रार्थी के इस सीलिंग प्रकरण को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1963 धारा 15(2) के अधीन खेल कर इस सीलिंग प्रकरण में पुनः नये सिरे से कार्यवाही करके निर्णय करने के सम्बन्ध में अप्रार्थी को कारण बताओं नोटिस दिया गया। अप्रार्थी की ओर से श्रीमनफूल राम अभिभाषक उपस्थित। नोटिस का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। अप्रार्थी के विद्यवान अभिभाषक कथन है कि अप्रार्थी ने 46 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 01.04.1966 को खरीदी थी और उप जिलाधीश रायसिंहनगर ने जो निर्णय किया है वह सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुरूप है।

उपजिलाधीश रायसिंहनगर के न्यायालय के उपरोक्त सीलिंग प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया एवं अध्ययन किया। उपजिलाधीश रायसिंहनगर ने अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.02.57 एवं 01.04.1966 को खरीद की जाने वाली भूमि व तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा और प्राप्त होने वाली भूमि को ध्यान में रखे बिना ही सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिया। उपजिलाधीश ने यह भी जांच नहीं की है कि दिनांक 01.04.1966 को धारा 30 बी के अनुसार अप्रार्थी के परिवार में कौन–कौन सदस्य कितनी कितनी भूमि धारण करते थे। उपजिलाधीश रायसिंहनगर अप्रार्थी द्वारा धारण की जाने वाली चक 11 जीबी की 41 बीघा 9 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी के सीलिंग प्रकरण में बिना जोडे ही निर्णय दिया है।

उपरोक्त परिस्थिति में उपजिलाधीश रायसिंहनगर द्वारा इस सीलिंग प्रकरण में दिया गया निर्णय राजस्थान टेनेन्सी अधिनिमय 1955 के प्रावधानों के विपरित एवं राजकीयहित के प्रतिकूल होने से राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अधीन रीओपन किये जाने योग्य है।

अतः राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर को उपरोक्त सीलिंग प्रकरण को खोल कर राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 बी के प्रावधानों के अनुसार पुनः नये सिरे से कार्यवाही करके इस सीलिंग प्रकरण को निर्णत करने के लिए निर्देश दिये जाते है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी इन्द्र सिंह (मृतक) के विधिक वारिसान को तलब किया गया।

तहसीलदार भू0अ0 श्रीविजयनगर से रिपोर्ट चाही गई जो उनके पत्रांक 3286 दिनांक 18.11.2021 से प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 01.04.1966 को इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह के परिवार के सदस्यों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

क.स.	सदस्य का नाम	सम्बन्ध	दि. 01.04.1966 को आयु
1.	इन्द्र सिंह पुत्र माहणा सिंह	स्वयं	अनुमानित 50 वर्ष
2.	सुरजीत कौर उर्फ सरजीत कौर	पत्नी	34 वर्ष
3.	हरजीत कौर उर्फ प्रीतो	पुत्री	27 वर्ष
4.	दीदार सिंह	पुत्र	16 वर्ष
5.	मोहता सिंह उर्फ गोपाल सिंह	पुत्र	06 वर्ष
6.	रिछपाल सिंह	पुत्र	अनुमानित 15 वर्ष

उक्त सदस्यों के अलावा 01.04.1966 के बाद इन्द्र सिहं की 1 पुत्री सुखविन्द्र कौर जन्म दिनांक 01.01.1969 और है।

2.दिनांक 01.04.1966 को इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह स्वयं के नाम चक 9 जीबी की भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.स.	खाता संख्या	खाते में स्थित कुल भूमि (बीघा–बिस्वा में)	खाते में इन्द्रसिंह का हिस्सा (बीघा–बिस्वा में)
1.	4	42.16	3.11
2.	9	24.14	6.03
3.	11	229.17	7.15
4.	13	111.18	28.00
5.	14	25.00	6.05
6.	15	901	2.05
7.	17	.01	2.05
		योगः–	56.04

दिनांक 01.04.1966 को इन्द्रसिंह के परिवार के किसी सभी सदस्य के नाम चक 9 जीबी में कोई कृषि भूमि नहीं थी। चक 11 जीबी में दिनांक 01.04.1966 को इन्द्रसिंह स्वयं व उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई कृषि भूमि नहीं थी। इस प्रकार दिनांक 01.04.1966 को चक 9 जीबी व 11 जीबी में इन्द्रसिंह व उसके परिवार के नाम कुल 56.04 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी।

3.दिनांक 01.04.1966 के बाद इन्द्रसिंह व उसके परिवार के सदस्यों के नाम चक 9 जीबी निम्नांकित भूमि हैः–

क.स.	नाम सदस्य	खाता	रकबा (बीघा–बिस्वा)	विवरण
1.	दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह	11	11.00	दिनांक 12.03.1970 को कयशुद्वा

4.दिनांक 01.04.1966 के बाद चक 11 जीबी में निम्नाकिंत भूमि इन्द्रसिंह के परिवार के सदस्यों के नाम निम्नानुसार दर्ज हुई।

क.स.	नाम सदस्य	खाता	रकबा (बीघा–बिस्वा)	विवरण
1.	रिछपाल सिंह–मोहता सिंह पुत्र इन्द्रसिंह	53	24.00	दिनांक 11.10.1966 को कयशुद्वा
2.	दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह	29	6.00	दिनांक 21.04.1972 को कयशुदा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त के अलावा दिनांक 01.04.1966 को व उसके बाद इन्द्रसिंह व उसके परिवार के सदस्यों के नाम कोई कय नहीं की गई है।

विद्वान राज्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) द्वारा अपने घोषणा पत्र में आश्रित सदस्यों की संख्या 6 होना बताया है। अप्रार्थीगण के पिता इन्द्र सिंह के पास निर्धारित तिथि 01.04. 1966 को 56.04 बीघा भूमि थी तथा परिवार में 6 ही सदस्य थे। चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 11 में दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह द्वारा कय्शुदा 11.00 बीघा , रिछपाल सिंह–मोहता सिंह पुत्र इन्द्र सिंह द्वारा खाता संख्या 53 में 24 बीघा एवं दीदार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह द्वारा खाता संख्या 29 में 6. 00 बीघा कुल 41 बीघा भूमि कय की गई। अप्रार्थीगण के पिता इन्द्र सिंह के पास निर्धारित तिथि 01.04.1966 को 56.04 बीघा भूमि थी तथा परिवार में 6 ही सदस्य थे, जो 54 बीघा 03 बिस्वा भूमि धारण करने के अधिकारी है। उसके बाद इन्द्रसिंह के परिवार के सदस्य जो कि दिनांक 01.04.1966 को आश्रित थे के नाम चक 11 जीबी में 41 बीघा भूमि कय की गई। इस प्रकार कुल भूमि 107 बीघा 04 बिस्वा भूमि इन्द्र सिंह (मृतक) व उसके परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम थी। शेष भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता इन्द्र सिंह के पास निर्धारित तिथि 01.04.1966 को 56.04 बीघा भूमि थी तथा परिवार में 6 ही सदस्य थे। चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 11 में दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह द्वारा कय्शुदा 11.00 बीघा, रिछपाल सिंह–मोहता सिंह पुत्र इन्द्र सिंह द्वारा खाता संख्या 53 में 24 बीघा एवं दीदार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह द्वारा खाता संख्या 29 में 6.00 बीघा कुल 41 बीघा भूमि कय की गई वह उनकी स्वयं अर्जित सम्पति है क्योंकि स्वयं के नाम से कय की गई भूमि स्वयं अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है। नाबालिक बच्चों के नाम से कोई भूमि है तो उन्हें अपने पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि वह अपनी भूमि से स्वयं अपना गुजारा चला सकते एवं नाबालिक के नाम भूमि को अपने पिता के नाम भूमि में जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आश्रित/नाबलिक बच्चों के नाम से दर्ज है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर उसको पिता की भूमि के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। नाबलिक/ आश्रित बच्चों के नाम दर्ज भूमि को पिता की भूमि में नहीं जोडे जाने पर अकेले इन्द्रसिंह के पास कोई भी भूमि सीलिंग सीमा से सरप्लस नहीं है। अतः पुराना सीलिंग कानून के तहत विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त किया जावें। श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) के नाम चक 9 जीबी तहसील श्रीविजयनगर में 56.04 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह के नाबालिक/ आश्रित दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम से चक 9 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 11 में 11.00 बीघा भूमि दिनांक 12.03. 1970 को कय की गई। रिछपाल सिंह–मोहता सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम से चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 53 में 24.00 बीघा भूमि दिनांक 11.10.1966 को कय की गई एवंम दीदार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम से चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 29 में 6.00 बीघा भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 21.04.1972 को क्रय की गई है। इस प्रकार से अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) स्वयं व उसके परिवार के आश्रित/नाबालिक बच्चों के नाम से तहसील श्रीविजयनगर में कुल 107 बीघा 04 बिस्वा भूमि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दर्ज रिकॉर्ड है। पुराने सीलिंग कानून के तहत दिनांक 01.04.1966 से 31.12.1969 के बीच हुए अन्तरणों पर विचार किया जाना है। अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) के नाबालिक/आश्रित पुत्र दीदार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम से चक 9 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 11 में 11.00 बीघा भूमि दिनांक 12.03.1970 को क्रय की एवंम दीदार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम से चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 29 में 6.00 बीघा भूमि दिनांक 21.04.1972 को क्रय की गई है जो दिनांक 31.12.1969 के बाद क्रय की गई जिसकी गणना पुराने सीलिंग कानून के तहत नहीं की जानी है। अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) के नाम मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दर्ज रिकॉर्ड भूमि 56.04 बीघा एवं रिछपाल सिंह–मोहता सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम से चक 11 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 53 में 24.00 बीघा भूमि दिनांक 11.10.1966 को क्रय की गई भूमि इस प्रकार अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) व उसके आश्रित/नाबालिक सदस्यों के नाम कुल 80.04 भूमि को पुराने सीलिंग कानून के तहत गणना की जानी है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अधीन राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 वी के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) व उसके आश्रित/नाबालिक पारिवार के सदस्यों के नाम से 54.07 बीघा भूमि धारण कर सकता है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा अपने घोषणा पत्र में परिवार के सदस्यों की संख्या 6 होना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह (मृतक) व उसके आश्रित/नाबालिक पारिवार के सदस्यों के नाम से 54.07 बीघा भूमि रखने का पात्र था जवकि अप्रार्थी व उसके आश्रित/नावलिक परिवार के सदस्यो के नाम से 80.04 बीघा भूमि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयगनर दर्ज रिकॉर्ड है। फलस्वरूप अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र माहणा सिंह व उसके परिवार के आश्रित/नाबालिक सदस्यों के नाम पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिक पाई गई 25.17 बीघा भूमि वहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, श्रीविजयनगर को आदेश की प्रति प्रेपित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा धारित भारमुक्त 25.17 बीघा भूमि का कब्जा वहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में उसे आराजी राज दर्ज किया जावे।

आदेश की दो प्रतियॉ मय रेकार्ड विधिक परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को गेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।